न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/564

1. शमशेर पुत्र मलुका, जाति मेव, निवासी शीतल तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

–अपीलांट

बनाम

1. मेहराव खान पुत्र गोपी माता बत्तो, जाति मेव निवासी हिंगोटा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट/अपीलार्थी

2. आमीन पुत्र गोपी माता बत्तो, जाति मेव निवासी– हिंगोटा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट/रेस्पो0 संख्या 12

3. मिजाज पुत्र गोपी माता बत्तो, जाति मेव निवासी– शीतल, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट/रेस्पो0 संख्या 13

4. असलम खाँ पुत्र सुका, जाति मेव, निवासी मांचा, तहसील किशनगढ बास, जिला अलवर।
5. जाकर हुसैन पुत्र सुका, जाति मेव, निवासी मांचा, तहसील किशनगढ बास, जिला अलवर।
6. रोशनी पुत्री सुका, जाति मेव, निवासी मांचा, तहसील किशनगढ बास, जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट/रेस्पो0संख्या 9 ता 11

7. अंसार पुत्र सहाब खाँ जाति मेव निवासी शीतल, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
8. ईशाकबी पत्नी सहाब खाँ जाति मेव निवासी शीतल, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्य
9. नोरी पुत्री सहाब खाँ जाति मेव निवासी शीतल, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
10. मगीना पुत्री सहाब खाँ जाति मेव निवासी माचा, तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर।
11. साहून पुत्र दीन मोहम्मद, जाति मेव निवासी शीतल, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
12. मोहरबी पुत्री मलूका पत्नी रज्जो खॉ, पुत्र सहाब खाँ जाति मेव निवासी माचा, तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर।
13. ग्राम पंचायत बुटियाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बुटियाना पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्र्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर आदेश दिनांक 20.06.2024 बउनवानी प्रकरण मेहराव खान बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में नामा0 संख्या 479 दिनांक 13.03.2000 को अपास्त करते हुये तहसीलदार लक्ष्मणगढ को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

उपस्थित–

1. श्री अजय कुमार गुप्ता, गौरव जैन वकील अपीलान्ट
2. श्री श्यामबाबू पारीक वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री अजय जांगिड वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 12 की ओर से।

निर्णय

दिनांक– 23.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के समक्ष ग्राम पंचायत बुटियाना द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 13.03.2000 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 13.03.2000 को निरस्त कर तहसीलदार लक्ष्मणगढ को मृतक मलूका के विधिक वारिसान् की समुचित जॉच कर पुनः नये सिरे से नामा0 दर्ज करने के आदेश दिनांक 20.06.2024 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 20.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 20.06.2024 को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 13.03.2000 को बहाल रखे जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

संभागीय आयुक्त जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस आशय पर कोई गौर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपील प्रस्तुत करने का कोई हक व अधिकार किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं था, क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता बत्तो, मलुका की पुत्री ना होकर रहीम खॉ निवासी मेव खेड़ा की पुत्री थी, क्योंकि छोटीसी ने जब मलुका के साथ घरवासा किया था तत्समय बत्तो अपनी मॉ छोटीसी के साथ मलुका के घर आई थी इसलिए बत्तो का मलुका की सम्पत्ति

में किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं था। इसलिए बत्तो के वारियान का भी मलुका की सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार किसी भी रूप मे कभी नहीं रहा है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण संख्या 479 दिनांकित 13.03.2000 के संबंध में चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.06.2024 विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मात्र संभावना पर आधारित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में निर्णय दिनांक 20.06.2024 पारित किया गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की थी कि जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता बत्तो, मृतक मलूका की पुत्री हो एवं इसी प्रकार जैतूनी जिसका वास्तविक नाम उसमानी है, वो मृतक की पुत्री हो, परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिवचनों को आधार मानकर नामान्तकरण संख्या 479 दिनांक 13.03.2000 को निरस्त कर दिया। अपीलान्ट व प्रभावित रेस्पोडेन्ट ने स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि खसरा नम्बर 472, 310 दीन मोहम्मद व शमशेर ने दिनांक 10.06.1994, 11.11.1991 (रजिस्टर्ड दि. 14.11.1991) को उपरोक्त आराजी भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की है तथा रजिस्टर्ड बयनामा भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया था। इसलिए उपरोक्त खसरा नम्बरान् की भूमि को मलुका के विरासत नामान्तकरण संख्या 479 दिनांक 13.03.2000 से कतई कोई लेना देना नहीं है।परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी व अन्य रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बयनामों का ना तो अवलोकन किया गया और ना ही अपने निर्णय में कोई विवेचन दिया गया और ना ही अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी में वर्णित तथ्यों पर कोई गौर किया।

अपीलान्ट व अन्य प्रभावित रेस्पोडेन्ट ने जो आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी का एक प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात् रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया था उसमें अपीलान्ट व प्रभावित रेस्पोडेन्ट ने स्पष्ट रूप से मय दस्तावेज अंकित किया था कि मलूका मेव के जैतूनी नाम की कोई लडकी नहीं थी बल्कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित अपील में जो रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ता 11 बनाये गये है उनके पिता का नाम सूका है तथा सूका की दिनांक 30.12.2012 को मृत्यु हो चुकी है जिस सूका की पत्नी का नाम उसमानी था तथा सूका का विरासत इन्तकाल संख्या 2473 दिनांक 05.12.2014 को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया था जिसमें भी सूका की पत्नी का नाम उसमानी दर्ज था तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ता 11 का नाम उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 2473 में दर्ज है, जिससे यह स्पष्ट था कि मलूका के कोई जैतूनी नाम की कोई लडकी नहीं थी तथा इस बाबत् नामान्तकरण संख्या 2473 दिनांक 05.12.2014 की सत्य प्रतिलिपि भी रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई थी।इसी प्रकार अपीलान्ट व अन्य प्रभावित रेस्पोडेन्ट ने जो आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी का एक प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात् रिकॉर्ड पर लिए जाने हेतु प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट व प्रभावित रेस्पोडेन्ट ने स्पष्ट रूप से मय दस्तावेजात् अंकित किया था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने पिता का नाम गोपी अंकित कर रहा है जिस गोपी का सन 1994 में इन्तकाल हो गया था एवं गोपी का इन्तकाल होने पर उसका विरासत इन्तकाल संख्या 365 दिनांक 16.04.1994 को दर्ज किया गया था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी माँ बत्तो का देहान्त सन् 2003 में होना बता रहा है यदि बत्तो देवी, गोपी की पत्नी थी तो विरासत इन्तकाल में बत्तो का

नाम अवश्य ही अंकित किया जाता इससे भी यह तथ्य साबित है कि बत्तो, मलुका की लडकी नहीं थी, बल्कि गैलड लडकी थी तथा इस बाबत् नामान्तकरण संख्या 365 दिनांक 16.04.1994 की सत्यप्रतिलिपि भी रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्य पर भी गौर नहीं किया, न ही प्रस्तुत नामान्तकरण के संबंध में अपने निर्णय में कोई विवेचन ही किया। बल्कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का किसी भी प्रकार का कोई अवलोकन किए बिना मनमाने तौर पर आलोच्य निर्णय दिनांक 20.06.2024 पारित करने अहम कानूनी भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.06.2024 यह माना है कि मोहरवी जो कि मलूका की पुत्री थी उसके द्वारा अपने भाईयों के हक में किसी भी प्रकार का कोई हकत्याग नहीं किया गया एवं पटवारी एवं ग्राम पंचायत द्वारा मात्र शपथ पत्र के आधार पर मोहरवी का नाम नामान्तकरण में से विलोपित कर दिया गया है इसलिए पटवारी व ग्राम पंचायत द्वारा वैधानिक नियमों की अवहेलना की गई है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई है वह मोहरवी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है बल्कि मोहरवी स्वयं उक्त अपील में एक रेस्पोडेन्ट है। यदि मोहरवी को अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 479 के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति या उज्र होता तो निश्चित रूप से इतने वर्षो में मोहरवी द्वारा नामान्तकरण संख्या 479 दिनांक 13.03.2000 को समक्ष न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती। क्योंकि मोहरवी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील लेकर नहीं आई थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मोहरवी के शपथ पत्र को आधार को आधार बनाकर नामान्तकरण संख्या 479 दिनांक 13.03.2000 को निरस्त करना विधि विरूद्ध व मनमाना है। नामान्तकरण संख्या 479 दिनांक 13.03.2000 की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य को प्रारम्भ से ही जानकारी रही थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील को धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत समयावधि में मानने में गम्भीर कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 20.06.2024 को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 13.03.2000 को बहाल रखा जावे।

6. रेस्पोडेण्टके योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि मृतक मलूका पुत्र मूसा जाति मेव निवासी शीतल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ख.न. हाल 195 रकबा 0.5200 है., 196 रकबा 0.9700 है०, 25 रकबा 0.800 है0, 295/555 रकबा 0.3500 है., 308 रकबा 1.000, 333 रकबा 0.8600 है0, 334 रकबा 0.7500, 339 रकबा 0.2800 है0, 459 रकबा 0.2900 है0., 472 रकबा 0.4900 है० कुल खसरे 10 रकबा 5.5900 है0 एवं ख. न. 112 रकबा 0.2900 है0, 107 रकबा 1.4300 है0, 105 रकबा 1.33 है०, ख न. 310 रकबा 0.81 है०, वाके ग्राम शीतल में स्थित है। मलूका मेव दिनांक 04.01.2000 को फौत होने पर विरासत का नामातंकरण उसके जायज वारिसों को छोड़कर केवल दीनमौहम्मद, शमशेर मोहरबी के नाम दर्ज कर दिया। मृतक मलूका के इनके अलावा दो पुत्री बत्तो और जैतूनी थी। इनके नाम नामांतकरण दर्ज न करके गलत तौर से वारिसों की सही जांच न कर नामांतकरण दर्ज कर दिया। मतृक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

मलूका के पॉच वारिस थे तथा मेव जाति के थे जिस पर मुस्लिम लॉ लागू नहीं होता बल्कि सामाजिक रीतिरिवाज रूढीगत प्रथा के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही मृतक मलूका की जायदाद में पुत्रीयों का हक पुत्र के बराबर होता है। विवादित नामांतकरण में मृतक मलूका की मृत्यु के बाद बत्तो व जैतूनी का नाम ही दर्ज नहीं किया गया और ना ही ग्राम पंचायत ने नोटिस दिया ना उन्हे उज्रदारी पेश करने का कोई मौका दिया और ना ही उन्हें सुना गया । एकतरफा में गतल तौर से जायज वारिसों को छोडकर इतंकाल दर्ज किया है जो गलत है। उक्त इतंकाल में मोहरबी ने स्वयं उपस्थित होकर हल्फनामा प्रस्तुत किया कि मलूका की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहती तो की कानन गलत है बिना हक त्याग के जायज वारिसों का नाम पृथक नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत ने अपीलाण्ट के हक व स्वामित्व को समाप्त करने के लिए जानबूझकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नाम छोड दिया। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा विधिवत् ही नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 13.03.2000 को निरस्त कर तहसीलदार लक्ष्मणगढ को मृतक मलूका के विधिक वारिसान् की समुचित जॉच कर पुनः नये सिरे से नामा0 दर्ज करने के आदेश दिनांक 20.06.2024 को दिये गये। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार मलूका पुत्र मूसा जाति मेव की विरासत को लेकर है। ग्राम पंचायत बुटियाना द्वारा मृतक खातेदार मलूका पुत्र मूसा जाति मेव की विरासत का नामान्तरकरण उसके पुत्र दिनमौहम्मद, शमशेर व पुत्री मुहरबी के नाम दर्ज किया गया। जिसे लगभग 23 वर्ष बाद रेस्पो0 संख्या 1 मेहराव खॉन पुत्र गोपी माता बत्तो द्वारा इस आशय के साथ चुनौती दी गई कि मृतक मलूका के उक्त वारिसों के अलावा दो पुत्री बत्तो और जैतूनी भी थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा लगभग 24 वर्ष बाद ग्राम पंचायत बुटियाना द्वारा खोले गये नामा0 संख्या 479 दिनांक 13.03.2000 को निरस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी के संबंध में अपने हक–हकूक एवं अधिकारों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गये जिससे यह साबित हो कि बत्तो और जैतूनी मृतक खातेदार की पुत्रियॉ हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिवचनों के आधार पर लगभग 24 वर्ष बाद नामान्तकरण संख्या 479 दिनांक 13.03.2000 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट व प्रभावित रेस्पोडेन्ट ने स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि खसरा नम्बर 472, 310 दीन मोहम्मद व शमशेर ने दिनांक 10.06.1994, 11.11.1991 (रजिस्टर्ड दि. 14.11.1991) को उपरोक्त आराजी भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की है एवं अपीलांट सद्भावी क्रेता हैं। चूंकि नामान्तरकरण एक फिसकल प्रोसेंडिग है इसके तहत किसी के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अगर पक्षकार को अधिकार तय कराने हैं तो सक्षम न्यायालय से ही अधिकारों को निर्धारण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण जैसी समरी कार्यवाही के दौरान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिला अलवर द्वारा लगभग 24 वर्ष बाद ग्राम पंचायत बुटियाना द्वारा खोले गये नामा0 संख्या 479 दिनांक 13.03.2000 को निरस्त किये जाना उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर का निर्णय दिनांक 20.06.2024 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 13.03.2000 बहाल किया जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।